

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0-प्र02 अ0ख0 01/18-2294...../एम0, पटना, दिनांक-30.5.18

प्रेषक,

आनंद प्रकाश सिन्हा,,
उप निदेशक।

Web/
E-mail/
Whatsapp

सेवा में,

सभी उपनिदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदा0,
सभी खान निरीक्षक।

विषय:- अवैध खनन से संबंधित सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि लघु खनिज (यथा बालू एवं पत्थर) के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन तथा ईट-भट्टों के अवैध संचालन से संबंधित सूचना की विस्तृत विवरणी सभी जिला खनन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जानी है।

अतएव पत्र के साथ विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए निदेशित किया जाता है कि अपेक्षित सूचना विहित प्रपत्र में निदेशक, खान को ई-मेल/फैक्स/Whatsapp के माध्यम से 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराया जाए।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन।
30/5/18
उप निदेशक

सभी जिला खनन कार्यालय द्वारा भेजा जाने वाला प्रपत्र
अवैध खनन से संबंधित सूचना

तिथि

जिला का नाम

क्रमांक	बालू घाटों के नाम एवं पता थाना एवं अनुमंडल सहित	पत्थर खदानों का नाम एवं पता थाना एवं अनुमंडल सहित	खनिजों के परिवहन का मार्ग एवं मुख्य प्रवेश / निकासी का मार्ग	संबंधनशील क्षेत्र का पूरा पता अंकित करें जैसे- अवैध खनन, अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन एवं अवैध ईट भट्टा
1	2	3	4	5

सहायक निदेशक / खनिज विकास पदाधिकारी /
खान निरीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर